

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS 3.0/12143-315

दिनांक 13/02/24

विभागाध्यक्ष

समस्त विभाग।

विषय:- आई.एफ.एम.एस. 3.0 में विकसित एवं लागू नवीन प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ:- वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 04.10.2023 एवं दिनांक 27.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत कार्मिकों के मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, संवेतन बिल जनरेशन एवं कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रियाओं का संचालन दिनांक 01.02.2024 से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके क्रम में उक्त प्रक्रियाओं के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 31.01.2024 में दिनांक 09.02.2024 तक प्रतिदिन चार सत्रों में आहरण वितरण अधिकारियों हेतु आयोजित किये जा चुके हैं इसके अतिरिक्त दिनांक 09.02.2024 एवं 12.02.2024 को विभागों में पदस्थापित वित्तीय सलाहकारों एवं उनके प्रतिनिधि अधिकारियों हेतु निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग में विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण सत्र भी सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है।

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत लागू की जा चुकी उक्त प्रक्रियाओं के संबंध में विभागों/कार्यालयों/आहरण वितरण अधिकारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रक्रियाओं के संबंध में दिनांक 14.02.2024 से दिनांक 29.02.2024 तक (प्रत्येक कार्य दिवस को) सभी विभागों/कार्यालयों/आहरण वितरण अधिकारियों हेतु 11:30 AM से एक ऑनलाइन "व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्र" आयोजित किया जा रहा है। जिसमें विभागों/कार्यालयों को प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्हें आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों का भी समाधान किया जा सकेगा। इस हेतु लिंक सम्बद्ध कोषाधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा। आई.एफ.एम.एस. 3.0 के जिला स्तर पर क्रियान्वयन व Help desk Issues हेतु कोषाधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अतः वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों से लागू की गई प्रक्रियाओं के सुगम संचालन हेतु आपके विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/आहरण वितरण अधिकारियों को संदर्भित परिपत्रों द्वारा उनके स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही समयबद्ध रूप से किये जाने एवं ऑनलाइन "व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्र" (सम्बद्ध कोषालय से समन्वय कर) में भाग लेने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।

भवदीय



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

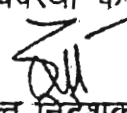
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS 3.0/12.316-12.375

दिनांक 13/02/24

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. LIC भवन, जयपुर।
3. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
4. श्री मुकेश शर्मा, वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. LIC भवन, जयपुर।
5. समस्त कोषाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. प्रमुख प्रोजेक्ट मैनेजर, PMU-PWC/Oracle को प्रशिक्षण की व्यवस्था करने एवं प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रहने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)